UPBB010065942021

न्यायालय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं.04, बाराबंकी।

सत्र परीक्षण वाद सं० 1990/2021

सरकार बनाम अमित कुमार आदि।

अपराध सं. 16 /2015
धारा 147, 148, 149, 302, 364,
201, 216 भा०दं०सं०,
थाना बदोसराय, जिला बाराबंकी।

निस्तारण प्रार्थनापत्र **ब 28**

आदेश पत्र

11-08-2022

पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई।

अभियुक्तगण नंदकिशोर, संगम, अमित कमुमार, राजेन्द्र कुमार जमानत पर एवं डा० विजय जेल से उपस्थित। शेष की हाजिरी माफी प्रस्तुत आज हेतु स्वीकृत।

पूर्व नियत तिथि पर अभियुक्त नंदकिशोर उर्फ रिंकू के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को प्रार्थनापत्र ब 28 पर सुना जा चुका है।

प्रार्थनापत्र ब 28 अभियुक्त नंदकिशोर उर्फ रिंकू की ओर से इस आशय का दिया गया है कि प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी को अपराध सं.16/2015, धारा 147, 148, 362, 302, 201, 216 IPC, थाना बदोसराय, जिला बाराबंकी के मामले में उन्मोचित किया जाये। प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में कहा गया है कि दिनांक 20-01-2015 को वादी दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा डा० विजय कुमार व मृदुला आनन्द व छः अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध सं.16/2015, धारा 147, 148, 362, 302, 201, 216 IPC, थाना बदोसराय, जिला बाराबंकी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी तथा बाद में धारा 149 IPC की बढ़ोत्तरी दौरान विवेचना की गयी। अभियोजन कथानक के अनुसार डा० विजय कुमार गोरखपुर के बासगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे और उनकी पत्नी मृदुला आनन्द वर्ष 2014 में DIOS बहराइच थीं। मृदुला आनन्द व डा० विजय कुमार ने वादी के पुत्र से रू.3,50,000/- नौकरी दिलाने के नाम पर लिये थे और नौकरी न लगने पर वादी एवं उसकी पत्नी डा० विजय कुमार व मृदुला आनन्द से मिले और पैसा वापस करने की

मांग की। वादी का पुत्र शिवम श्रीवास्तव द्वारा वादी के पुत्र शिखर श्रीवास्तव को ढूढने के लिये पुलिस से कहा गया। अगले दिन वादी के पुत्र की लाश बदोसराय में पायी गयी और मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मृत्यु, मृत्युपूर्व आयी चोटों के कारण हेमरेज और शाक से हुई। वादी के बयान के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई मामला नहीं बनता है। वादी का बयान पुनः विवेचक द्वारा लिये जाने पर उसके द्वारा मामले को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। अभियुक्त का नाम वादी के पुत्र शिवम श्रीवास्तव के बताने पर प्रकाश में आया है। शिवम श्रीवास्तव के उपरोक्त बयान के अनुरूप तथ्य लगभग असम्भव हैं। शिवम श्रीवास्तव ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि उसने मृतक को 19–01–2015 को शाम को साढ़े पांच बजे हनीमैन चौराहे के पास सफारी गाड़ी में देखा था। अर्पितराज ने भी अपने धारा 161 दं०प्र०सं० के कथन में शिवम श्रीवास्तव के कथनों को दोहराया है। प्रार्थी ने कोई अपराध कारित नहीं किया है और वह पूर्णतया निर्दोष है, वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है, उसका नाम केवल वादी के पुत्र शिवम श्रीवास्तव के बताने पर प्रकाश में आया है। वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अथवा अपने धारा 161 दं०प्र०सं० के बयान में उसका नाम नहीं लिया गया है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। उसका नाम घटना के 11 महीने के बाद प्रकाश में आया है। यह विश्वसनीय नहीं है कि शिवम ने सभी व्यक्तियों को चलती हुई कार में बैठे देखा हो। घटना के सभी साक्षी, हितबद्ध साक्षी हैं। अभियुक्त के विरूद्ध मात्र इतना कथन है कि उसे सफारी गाड़ी में देखा गया था। अभियुक्त के पास से किसी प्रकार की बरामदगी नहीं है। गवाहों के धारा 161 दं०प्र०सं० के बयान में विरोधाभास है। अभियोजन कथानक मात्र सम्भाव्यता पर आधारित है। अभियुक्त के पास से किसी अभियोगात्मक सामग्री की बरामदगी नहीं हुई है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थना की गयी है कि अभियुक्त को उपरोक्त आरोपो से उन्मोचित किया जाये।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियुक्त के उन्मोचन प्रार्थनापत्र पर कोई लिखित आपत्ति नहीं प्रस्तुत की गयी, परन्तु मौखिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचन हेतु पर्याप्त साक्ष्य है। साक्षी शिवम श्रीवास्तव, कन्हैया, अर्पितराज तथा विधायक डा० विजय के सेवक सुभाष एवं सद्दाम ने घटना के सम्बंध में साक्ष्य दिये हैं। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। घटना परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और अभियोजन साक्षियों के जो कथन धारा 161 दं०प्र०सं० के अधीन रिकर्ड किये गये हैं, उनके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचन हेतु पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है और अभियुक्त के विरूद्ध आरोप मात्र सन्देह के आधार पर भी विरचित किया जा सकता है। इस स्तर पर साक्ष्यों का गुण–दोष के आधार पर विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त का प्रार्थनापत्र वास्ते उन्मोचन, निरस्त करने की प्रार्थना की गयी।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है।

सम्पूर्ण पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि वादी श्री दिनेश चन्द्र द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी कि उनका लड़का शिखर श्रीवास्तव उर्फ राजा दिनांक 19–01–2015 को अपने आफिस गया था और वहीं से 12:30 बजे लखनऊ चला गया। डा० विजय कुमार विधायक (बासगांव) व उनकी पत्नी मृदुला आनन्द (जिला विद्यालय निरीक्षक) ने नौकरी की बावत रू.3,50,000/– लिये थे, जिसको मांगने के उद्देश्य से वादी का लड़का उनके घर कई बार गया, परन्तु ये लोग टालते रहे, काफी दिन बाद उसके लड़के ने बताया कि डा० विजय कुमार व उनकी पत्नी ने उससे रू.3,50,000/– रूपये लिये हैं तब वह अपनी पत्नी के साथ डा० विजय कुमार व मृदुला आनन्द से लखनऊ में मिला तो उन्होने कहा कि परेशान न हो, लड़के का काम करा देंगें। दिनांक 19–01–2015 को समय करीब 05:45 बजे विधायक ने अपने आदमियों द्वारा शिखर को घर बुलवाया कि आकर पैसा वापस ले लो, वादी ने अपने छोटे बेटे शिवम से फोन पर बात की तो पता चला कि कुछ लोगों के साथ वह विधायक के यहां गया हुआ है, तो वादी फोन करता रहा और फोन भी मिलवाया, परन्तु फोन स्विच आफ बताता रहा। वादी का छोटा लड़का शिवम उनके सरकारी आवास निशातगंज लखनऊ गया जहां उसके नौकर ने बताया कि विधायक व उनकी पत्नी मृदुला आनन्द तथा 4–5 अन्य लोग शिखर श्रीवास्तव को जबरदस्ती गाड़ी से ले गये हैं। गनर एवं घर के नौकरों से पूंछतांछ की गयी तो जवाब मिला कि विधायक जी से सबेरे साढ़े आठ बजे मुलाकात होगी। दिनांक 20–01–2015 को सुबह 08:20 बजे, शिखर के मोबाइल से वादी के छोटे बेटे के नम्बर पर पुलिस से सूचना आयी थी कि उसके भाई की लाश सड़क किनारे बदोसराय रामनगर मार्ग पर ग्राम बरदरी मरकामऊ में छत–विछत पड़ी है, जिस पर सभी लोगों ने पहुंचकर लाश की शिनाख्त की, तब वादी द्वारा थाने पर डा० विजय कुमार व उनकी पत्नी मृदुला आनन्द तथा 5–6 अन्य व्यक्तियों पर शिखर की धारदार हथियार व लाठी डण्डा से मारकर हत्या कारित करने का एवं लाश छिपाने का आरोप लगाते हुए थाना बदोसराय में अपराध सं.16/2015, अन्तर्गत धारा 147, 148, 364, 302, 201 IPC में मुकदमा पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा वादी मुकदमा दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव, शिवम श्रीवास्तव, अर्पितराज, कन्हैयालाल, विधायक के सेवक सुभाष एवं सद्दाम के बयान के अलावा अन्य कई साक्षियों के बयान अंकित किये गये। वादी दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव ने अपने बयान में विवेचक को बताया कि उसके लड़के शिखर ने बताया था कि विधायक डा० विजय व मृदुला आनन्द ने उससे साढ़े तीन लाख रूपये नौकरी लगवाने के लिये लिया था और ये लोग उसकी नौकरी नहीं लगवा पाये और मेरे बेटे के पैसे मांगने पर बार बार टाल जाते थे, यह जानकारी होने पर वह अपनी पत्नी के साथ डा० विजय कुमार व मृदुला आनन्द से लखनऊ में जाकर निशातगंज में उनके आवास पर मिला तो भी उन्होने कहा कि पैसा वापस कर देंगें। दिनांक 19–01–2015

को जानकारी हुई की उनका लड़का आफिस से ही लखनऊ चला गया। उसके छोटे बेटे शिवम ने बताया कि शिखर ने पैसा लेने के लिये विधायक जी के यहां जाने की बात उससे बतायी थी और यह भी बताया था कि उसका फोन स्विच आफ आ रहा है। विधायक जी के सरकारी आवास निशातगंज जाने पर वहां नौकर ने बताया कि शिखर श्रीवास्तव को डा० विजय कुमार विधायक उनकी पत्नी मृदुला आनन्द तथा 4–5 अन्य लोगों ने जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया और कहीं ले गये, जिसके आधार पर तहरीर थाना महानगर में दी गयी थी और उपनिरीक्षक मनोज कुमार विधायक जी के आवास पर गये तथा विधायक जी व उनकी पत्नी का मोबाइल मिलाया तो नहीं मिला, नौकरों से पूंछतांछ पर आश्वासन मिला कि सुबह 08:30 बजे विधायक जी से मुलाकात हो जायेगी, इस पर छोटा बेटा व उसके साथी वापस आ गये। आज सुबह साढ़े आठ बजे उसके बेटे शिखर के मोबाइल से शिवम के नम्बर पर पुलिस द्वारा सूचना दी गयी कि उसका भाई की लाश रामनगर बदोसराय मार्ग पर ग्राम बरदरी भरमामऊ में पड़ी है। उसके लड़के तथा परिवार के अन्य लोगों ने जाकर लाश को देखा तथा पहचाना। शिखर के शरीर पर काफी चोटें थी तथा उसका कपड़ा खून से सना हुआ था। अपने मजीद बयान में वादी ने बताया है कि उनका लड़का विधायक डा० विजय की पत्नी जो DIOS हैं, के द्वारा सरकारी साइंस टीचर की नौकरी लगवाने के आश्वासन में डा० विजय कुमार के चुनाव में उनके साथ रहा था तथा मृदुला आनन्द से भी उनके सम्बंध हो गये थे, जिस कारण उसने साढ़े तीन लाख रूपये दिये थे, उक्त पैसा हर्षित राज श्रीवास्तव के सामने दिया गया था।

शिवम ने पुलिस को दिये गये अपने बयान में बताया कि दिनांक 19–01–2015 को वह लखनऊ में था, दिन में ढ़ाई बजे शिखर ने उसे बताया कि लखनऊ आ रहा है, विधायक डा० विजय एवं मृदुला आनन्द ने साढ़े तीन लाख रूपये देने के लिये निशातगंज सरकारी आवास लखनऊ पर बुलाया है, जो पहले नौकरी दिलाने के लिये लिये थो, शाम को खाना साथ खायेंगें। साढ़े पांच बजे शाम के आस पास हनीमैन चौराहे पर लखनऊ में मिलना। वह पांच बजे हनीमैन चौराहे पर चचेरे भाई अर्पित श्रीवास्तव व अमन श्रीवास्तव के साथ हनीमैन चौराहे पर आया, करीब साढ़े पांच बजे हनीमैन चौराहे पर सफारी गाड़ी से शिखर आया, उसने रूकवाने का इशारा किया, गाड़ी के अन्दर की लाइट जल रही थी, लेकिन गाड़ नहीं रूकी। उन सब ने देखा कि गाड़ी में उसका भाई शिखर श्रीवास्तव, विधायक विजय कुमार, उनकी पत्नी मृदुला आनन्द, ड्राइवर अमित कुमार, विधायक के साथ रहने वाले रिंकू और संगम तथा तीन आदमी अन्य थे। शिखर का फोन मिलाने पर फोन स्विचआफ मिला। शिखर के दोस्त कन्हैया को फोन लगाने पर उसने बताया कि करीब साढ़े चार बजे पालीटेक्निक चौराहे पर मिला था और कुछ सामान दिया था तथा यह भी बताया था कि विधायक विजय कुमार व उनकी पत्नी मृदुला आनन्द के पास जा रहा हूं, जो नौकरी दिलाने के लिये पैसा लिये थे, देने के लिये बुलाया है, लेकिन वापिस नहीं आया। इसके पश्चात् वह, अर्पित व अमन विधायक विजय कुमार के सरकारी

आवास निशातगंज पर आये परन्तु विधायक व उनकी पत्नी नहीं मिले तथा नौकर सुभाष व सद्दाम मिले, उन्होने बताया कि विधायक जी व उनकी पत्नी, शिखर, अमित, रिंकू, संगम व तीन अन्य लोगों के साथ सफरी गाड़ी से कहीं गये हैं। विधायक के गनर तूफानीराम ने मोबाइल नम्बर 9919345274 पर बताया कि बाहर हैं, सुबह आवास पर आ जाना। दिनांक 20–01–2015 को बदोसराय के पुलिस द्वारा सूचना मिली कि शिखर की लाश रामनगर बदोसराय रोड पर पड़ी है जिस पर वह उसके पिता तथा परिवार के सभी लोग वहां जाकर लाश को देखकर उसकी शिनाख्त किये और उसके पिता ने 20–01–2015 को ही थाना बदोसराय पर प्रार्थनापत्र देकर मुकदमा पंजीकृत कराया। विधायक विजय कुमार व उनकी पत्नी मृदुला, अमित कुमार, रिंकू व संगम और तीन आदमी अन्य ने मिल कर उसके भाई की हत्या की है। दिनांक 25–11–2017 को अपने मजीद बयान में शिवम श्रीवास्तव ने बताया कि जब वह अर्पितराज व नमन के साथ निशातगंज विधायक के आवास पर गया था तो उनके नौकर सुभाष व सद्दाम ने बताया था कि विधायक जी का ड्राइवर अमित, रिंकू, संगमलाल व उसका भाई शिखर श्रीवास्तव व तीन और लोग विधायक जी व उनकी पत्नी के साथ बाहर निकले हैं, इसके बाद वह फिर लखनऊ गया था और सुभाष व सद्दाम से मिला था तो उन्होने बताया था कि रामसिंह पुत्र भूलन, राजेन्द्र कुमार पुत्र विश्वनाथ की तूफानीराम गनर से रामसिंह व तूफानीराम दोनो से विधायक व उनकी पत्नी को राजेन्द्र कुमार के फूलबाग वाले मकान जो थाना गुडम्बा में है, में छोड़कर दिनांक 21–01–2015 को तूफानीराम वापस चला आया था। गवाह अर्पितराज ने अपने धारा 161 दं०प्र०सं० के बयान में कहा है कि शिखर श्रीवास्तव ने दिनांक 19–01–2015 को फोन करके अपने भाई शिवम को बताया था कि वह लखनऊ आ रहा है, विधायक डा० विजय एवं मृदुला आनन्द ने पैसा वापस लेने के लिये बुलाया है। आज रात आपके पास रूकूंगा और खाना खाउंगा। शाम साढ़े पांच बजे हनीमैन चौराहे पर मिलना। शाम पांच बजे वह शिवम तथा नमन हनीमैन चौराहा पर पहुंच गये। शाम साढ़े पांच बजे विधायक की गाड़ी निकली जिसमें विधायक व उनकी पत्नी, शिखर श्रीवास्तव, ड्राइवर अमित, संगमलाल, रिंकू व तीन अन्य व्यक्ति बैठे थे। गाड़ी रोकने का शिवम ने इशारा किया तो गाड़ी स्लो हुई और आगे बढ़ गयी। शिखर श्रीवास्तव तथा विधायक व उनकी पत्नी का फोन मिलाने पर फोन बन्द था। इसके बाद तीनो लोग मृदुला आनन्द के सरकारी आवास निशातगंज गये, वहां पर नौकरों ने बताया कि विधायक जी, उनकी पत्नी, ड्राइवर अमित, संगमलाल, रिंकू तथा शिखर कहीं निकले हैं। विधायक के गनर तूफानीराम से मोबाइल पर बात करने पर उसने बताया कि वह लोग बाहर हैं। इसके बाद थाना महानगर में शिखर के गायब होने की सूचना देने पर एस०आई० मनोज कुमार के द्वारा मृदुला आनन्द के सरकारी आवास पर जाकर गनर तूफानीराम से बात किया था तो उसने बताया था कि विधायक जी बाहर हैं, सुबह बात हो सकेगी। गवाह ने आगे अपने बयान में पुलिस को बताया है कि शिखर व मृदुला आनन्द

का व्यवहार अच्छा हो गया था और शिखर ने साढ़े तीन लाख रूपये नौकरी दिलाने के लिये मृदुला आनन्द को दिये थे। दिनांक 19–01–2015 को शिखर पैसा वापस लेने लखनऊ गया था। उसके सामने मौके से शिखर का एक जोड़ी जूता, टूटा बटन, बेल्ट का बक्कल व सफारी गाड़ी के मडगार्ड का टुकड़ा मिला था।

इस तरह स्पष्ट है कि मृत्यु से पहले शिखर को सफारी गाड़ी में डा० विजय कुमार, मदुला आनन्द, रिंकू, अमित व संगम के साथ देखा गया है और अगले दिन सुबह उसकी लाश रामनगर बदोसराय मार्ग पर मिली। लाश के कपड़े रक्त रंजित थे तथा पंचायतनामा के अनुसार मृतक के सिर पर तथा हाथ पैर पर चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे, जिनमें अब्रेजन, कन्ट्यूजन, लेसरेटड उंड की चोटें पायी गयीं तथा रिब्स की हड्डियां भी टूटी पायी गयीं। अभियोजन की ओर से अन्य ऐसा कोई कथन नहीं आया है कि मृतक शिखर को 19–01–2015 की शाम 5:30 बजे के बाद किसी अन्य के साथ देखा गया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु, पोस्टमार्टम के लगभग आधा से एक दिन पहले हुई थी। दौरान विवेचना पुलिस द्वारा सफारी गाड़ी के टूटे हुए मडगार्ड के टुकड़े बरामद किये गये थे और यदि उपरोक्त अभियोजन कथानक साक्ष्यों के आधार पर साबित हो जाता है तो अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जा सकता है। अभियोजन कथानक ऐसा नहीं है कि उसके साबित हो जाने पर भी अभियुक्तगण की दोषसिद्धि न की जा सके। इसप्रकार अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने का गम्भीर सन्देह उत्पन्न होता है। गम्भीर सन्देह एवं मात्र सन्देह में अन्तर है। गम्भीर सन्देह तब होता है जब तथ्य इस ओर इशारा करते हो कि इस बात की अत्यधिक सम्भावना है कि अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित किया गया हो। सन्देह तब होता है जब मात्र यह कहा जाये कि हो सकता है कि अभियुक्तगण ने अपराध कारित किया हो। प्रस्तुत मामले में परिस्थितियां एवं तथ्य इस ओर इशारा करते हैं कि अत्यधिक सम्भावना है कि अभियुक्तगण द्वारा अपराध किया गया हो। अभियुक्त की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **क्रिमिनल अपील नं.192/2010 पी. विजयम बनाम स्टेट आफ केरला एवं अन्य निर्णीत दिनांक 27–01–2010** प्रस्तुत की गयी है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 227 दं०प्र०सं० न्यायालय को यह अधिकार देती है कि "वह अभियुक्त को उन्मोचित कर दे, यदि अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार न हों। और यदि न्यायालय की राय है कि अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार हैं तो उसे धारा 228 दं०प्र०सं० के अधीन आरोप विरचित करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो अभियुक्त को उन्मोचित कर देना चाहिए।" इसी विधि व्यवस्था में यह भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि न्यायाधीश मात्र पोस्टआफिस की तरह नहीं है। न्यायधीश को न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करके यह देखना चाहिए कि विचारण योग्य कोई मामला बन रहा है या नहीं।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से एक अन्य विधि व्यवस्था **दिलावर बालू बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र, माननीय उच्चतम न्यायालय क्रिमिनल अपील नं.8/2002 निर्णीत दिनांक 08–01–2002** प्रस्तुत की गयी है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 227 दं०प्र०सं० के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोप विरचन के बिन्दु पर न्यायालय को तथ्यों को छानने एवं तौलने की सीमित शक्ति इस तथ्य के निर्धारण के लिये प्राप्त है कि अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है या नहीं। जहां न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर प्रस्तुत सामग्री से अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने का गम्भीर सन्देह विद्यमान होता है, जिसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, वहां न्यायालय अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित कर कार्यवाही आगे बढ़ाने में पूर्णतया विधिसम्मत है।

उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में सम्मानपूर्वक मेरा मत है कि प्रस्तुत मामले के तथ्यों को देखते हुए कि मृतक को अन्तिम बार सफारी गाड़ी में डा. विजय, मृदुला आनन्द, रिंकू, अमित, संगम के साथ देखा गया था और उपरोक्त तथ्य का खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से नहीं होता और इस कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। इस कारण उपरोक्त विधि व्यवस्था का लाभ अभियुक्त को नहीं मिलेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक अन्य विधि व्यवस्था **State of Tamilnadu representated by Inspector of police Vigilance and Anti corruption Vs N. Suresh Rajan** 2014 (11) **SCC** 709 में यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि "At the stage of consideration of an application for discharge, Court has to proceed with an assumption that the material brought on record by prosecution are true and evaluate the said material and documents with a view to find out wheather the facts emerging there from taken at their face value disclose the existence of all the ingredients constituting the offence." माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक अन्य विधि व्यवस्था **पलविन्दर बनाम बलविन्दर सिंह** 2009(3) **SCC** 850 में यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि उन्मोचन प्रार्थनापत्र के निस्तारण के समय सेशन जज का क्षेत्राधिकार सीमित हाता है। आरोप गम्भीर सन्देह के आधार पर भी विरचित किया जा सकता है। आरोप के स्तर पर साक्ष्य का क्रमबंधन और विश्लेषण करने की न्यायालय को शक्ति प्राप्त नहीं है।

माननीय उच्च्तम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा ऐसी सामग्री प्रस्तुत किये जाने पर जिससे अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने का गम्भीर सन्देह उत्पन्न होता है, अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किया

जा सकता है। प्रस्तुत मामले में अभियोजन के मौखिक साक्षियों ने पुलिस को दिये अपने बयान में अभियुक्त रिंकू उर्फ नंदकिशोर को मृतक शिखर श्रीवास्तव के साथ उसकी मृत्यु से पूर्व गाड़ी में देखे जाने का साक्ष्य दिया है और अगले ही दिन मृतक शिखर श्रीवास्तव की लाश बरामद होती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु पोस्टमार्टम किये जाने के आधा से एक दिन पूर्व होना अंकित है। इस तरह अभियुक्त द्वारा मृतक शिखर श्रीवास्तव की हत्या में शामिल होने अथवा उसकी हत्या किये जाने का गम्भीर सन्देह विद्यमान है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचन हेतु पर्याप्त सामग्री पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः अभियुक्त रिंकू उर्फ नंदकिशोर का उन्मोचर प्रार्थनापत्र ब 28 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त रिंकू उर्फ नंदकिशोर का उन्मोचर प्रार्थनापत्र ब 28 निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थनापत्र ब 29 दिनांक 16–08–2022 को पेश हो।

दिनांक 11–08–2022

(कमल कान्त श्रीवास्तव)
J.O. Code:UP01559
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं.04, बाराबंकी।